

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

क्र. 5325/25 विपक्षी अवेर सिंह
 न मुकदमा 5325/25 पत्रावली संख्या 107/25 सन् _____

क	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p><u>06/5/25</u> पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रति./विपक्षी/रेसपो. को जरिये सम्मन/ नोटिस तलब किये जाकर पत्रावली बन्द तलबी दि. <u>28/5/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>hmy</u> सहायक कलक्टर (SBO) मावली</p> <p><u>28/5/25</u> पत्रावली पेश हुई/अधि. वारी उप.। प्रतिवादी संख्या 1 के अन्तर्गत सदन तारीख प्राप्त हुई। पुनः पेश कर पत्रावली वास्तु तलबीन। दिनांक 10/6/25 को पेश हो। <u>hmy</u></p> <p><u>10/6/25</u> पत्रावली पेश हुई। अधि. उभय प.स.उप. उ.र.न. किओर से अधि. श्री मदन लाल नागादा द्वारा अन्तर्गत पत्रा पेश किया गया (शा.का.रहे) पत्रावली वास्तु अन्तर्गत 31/7/25 को पेश हो। <u>hmy</u></p> <p><u>31/7/25</u> पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>21/7/25</u> को पेश हो। डी०</p> <p><u>21/7/25</u> पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>24/7/25</u> को पेश हो</p>	



24/7/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.
उपरिस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक समा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 11/9/25 को पेश हो।
B.L.

11/9/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. राव ब
के लिखे मौका चाहते है। अतः राव
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 16/10/25
को पेश हो।
M
(SDO) मावली

6/10/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. राव
के लिखे मौका चाहते है। अतः राव
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 17/11/25
को पेश हो।
M
(SDO) मावली

17/11/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीया मय
स्वयं वादीया अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीया मय
स्वयं वादीया को बार-बार आवाजे दिलाई गई।
समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादीया
एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं।
अतः अधिवक्ता वादीया मय स्वयं वादीयां
अनुपस्थित रहने पर वादीया का वाद अदम
हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल हुमार होकर नम्बर से कम हों।
निर्णय चुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली